रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1465] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935
No. 1465] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASADHA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

का.आ. 1848(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 (नया रा.रा.- 66) के कर्नाटक/केरल सीमा/कन्नूर सेक्शन के 18.000 कि.मी. से 148.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केरल राज्य में 90.100 कि.मी. से 91.300 कि.मी. तक पाडान्नाक्कड स्थित "रेलवे उपरिसेतु (आरओबी) के उपयोग के लिए नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारिणी में निर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क लगाती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों की मार्फत अथवा संविदाकार की मार्फत उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है; अर्थात् :—

सारणी-1

शुल्क की आधार दर (रुपये प्रति वाहन प्रति यात्रा) (रुपये में)						
रेलवे उपरिसेतु की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धूरी वाले)	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व) (चार से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6

IndiaCode

1. रेलवे उपयोग उपरिसेतु (आरओबी) के उपयोग के लिए नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	रेलवे उपरिसेतु की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड. रुपये में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	
90.695 किमी	लम्बाई	लागत
(कसारगोड जिले में पाडान्नाक्कड, कान्नागाड गांव के पास)	**1.2 कि.मी.**	**44.39 करोड़**

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह रेलवे उपरिसेतु (आरओबी) से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपये (दो सौ पंद्रह रुपये मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 में यथा - उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर की आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम-5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और तदनुसार प्रकाशित कराया जायेगा ।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 44.39 करोड़ रुपए हैं । प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को 40% घटा दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[**फा. सं.** भाराराप्रा/13013/743/12-13/सीओ/जीसी कोजीकोडे (90.100-91.300) आरओबी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 25th June, 2013

S.O. 1848(E),—Whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E) dated 7th May, 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 18.000 to kilometer 148.000 of Karnataka/ Kerala Border – Kannur Section of National Highway No. 17 (New NH-66) in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the " Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in the Table (hereinafter referred to as "base rate") on the type of Vehicles specified in Table below, for the use of the "Railway Over Bridge (ROB) at Padannakkad from Km 90.100 to Km 91.300 in the state of Kerala and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-I

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of Railway Over Bridge (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus (Two axles)	Three- axle Commercial Vehicles	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	Oversized Vehicle (seven or more axles)
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	3.30	4.50	6

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable for the use of the Railway Over Bridge (ROB) at the following toll plaza:

Location of Toll Plaza (Chainage)	**Length (in km) and cost of Railway Over bridge (in Rupees Crore) for which fee is payable**	
Km 90.695 (Padannakkad, Kannangad village in Kasaragod District)	**Length**	**Cost**
	1.2 km	44.39 Crores

2. The rate of monthly pass for a person who own a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the ROB is Rs. 215 .00 (Rupees Two Hundred fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicles.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-I above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and the same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language and there after revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and got published accordingly.

9. The estimated capital cost of the project is Rs. 44.39 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/13013/743/12-13/CO/GC Kozhikode (90.100-91.300) ROB]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.